

**मानव जन कल्याण कार्ड की आपके लिए सुविधा की जानकारी****(01) संस्था का कार्ड बनवाने के क्या फायदे है :-**

HUMAN WELFARE CARD (जन कल्याण कार्ड) बनवाने पर कंपनी की ओर से जो सुविधाएं प्रदान की जाती है, उनमें से मुख्य सुविधाएं निम्नांकित हैं-

**➔ (1) 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा**

HUMAN WELFARE CARD जन कल्याण कार्ड धारक को **2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा** दिया जाता है। यह बिमा किसी भी सरकारी बिमा कंपनी से मिल सकता है जिसकी जानकारी आपके कार्ड में मिलेगी।

बिमा की विस्तृत जानकारी इस प्रकार है

कार्ड धारक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर रु दो लाख का भुगतान उसके उत्तराधिकारी को किया जाता है।

कार्ड धारक की दुर्घटना में 50 % विकलांगता जैसे एक हाथ या एक पैर या एक आँख हमेशा के लिए खराब हो जाये या काम करना बंद कर दे तो ऐसी स्थिति को 50 % विकलांगता की श्रेणी में आएगी तब कार्ड धारक को रु एक लाख का अनुदान मिलेगा।

कार्ड धारक की आंशिक विकलांगता होने पर रु 50000 /- का अनुदान मिलेगा अथवा दुर्घटना में घायल होने पर दिए गए अस्पताल के बिल का अनुदान मिलेगा जो की बिमा कंपनी के सर्वेयर के निर्णय पर आधारित होगा

इसके लिए आपको दुर्घटना के 7 कार्य दिवस में सम्बंधित कंपनी में उचित दस्तावेज के साथ आवेदन करना पड़ेगा।

यह सुविधा जन कल्याण कार्ड जारी होने के 30 कार्य दिवस के बाद मिलना सुरु होगी।

**➔ (2) इलाज में भी आर्थिक सहायता**

• HUMAN WELFARE CARD जन कल्याण कार्ड के जरिए स्वास्थ्य बीमित लोगों को दी जाएगी। इसके अंतर्गत कार्ड धारक को किसी भी प्रकार की बीमारी होने पर उसका इलाज में लगने वाला रु पांच लाख तक का खर्च कंपनी वहन करेगी। यह सुविधा जन कल्याण कार्ड जारी होने की छह: माह पश्चात् लागू होगी एवं छह: माह पश्चात् होने वाली बीमारी ही इस बीमा कवर में शामिल होंगी।

**➔ (3) कार्ड धारक को कानूनी सलाह के साथ न्यायिक परोकार :-**

किसी भी कामगार को उसके मालिक द्वारा मेहनताना नहीं देने पर उसके द्वारा मालिक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही संस्था खुद के वकीलों के द्वारा करवाएगा जिसके समस्त खर्चे सेवा कंपनी वहन करेगा।

इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार की कानून से सम्बंधित या न्यायालय से सम्बंधित सलाह संस्था के वकील द्वारा पैरवी की जाएगी जिसका कोई भुगतान नहीं करना होगा। यह सुविधा कार्ड जारी होने के तत्पश्चात् शुरू होगी

**➔ (4) कार्ड धारक की पुत्री शादी होने पर आर्थिक सहायता :-**

HUMAN WELFARE CARD जन कल्याण कार्ड धारको को परिवार में शादी होने पर आर्थिक सहायता दी जाएगी।

परिवार का अर्थ यहां कार्ड धारक स्वयं पत्नी माता पिता और खुद की संतान से है

कार्ड धारक की पुत्री की शादी होने पर उसको यदि पुत्री का भी कार्ड है तो अधिकतम **₹. 1,51,000/-** तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी

सहायता की राशि केवल पात्र मजदूर कामगार होने पर ही मिलेगी जो कि उचित दस्तावेज कि जाँच करने और सर्वे टीम कि सहमति मिलने के बाद ही जारी होगी। अपात्र होने या गलत जानकारी देकर सुविधा लाभ लेने कि कोशिश करने पर कार्ड तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा। यह सुविधा जन कल्याण कार्ड जारी होने की छह: माह पश्चात् लागु होगी एवं छह: माह पश्चात होने वाली पुत्री की शादी ही इस कवर में शामिल होंगी। नाबालिग विवाह में मान्य नहीं होगी

**➔ (5) गर्भवस्थ शिशु के भरण-पोषण :-**

HUMAN WELFARE CARD जन कल्याण कार्ड धारक गर्भवती महिलाओं को गर्भवस्थ शिशु के भरण-पोषण के लिए शंपूर्ण गर्भावस्था के दौरान अधिकतम रु 5000/- तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो कि कार्ड जारी होने के 3 माह पश्चात् लागु होगी। (पति का कार्ड होना भी आवश्यक है कुछ विशेष परिस्थिति में छूट संभव है जैसे परित्यक्ता या विधवा)

**➔ (6) शिशु के जन्म लेने पर :-**

HUMAN WELFARE CARD जन कल्याण कार्ड धारक गर्भवती महिलाओं को शिशु के जन्म लेने पर पालन पोषण हेतु प्रति वर्ष अधिकतम रु 5000/- पांच वर्ष तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पुत्र पुत्री एक समान सुविधा। अथवा यदि शिशु का जन्म अस्पताल में होता है तो अस्पताल में लगने वाली दवाइयों का खर्च कंपनी वहन करेगी सनद रहे केवल सरकारी अस्पताल इस श्रेणी में आते है निजी अस्पताल नहीं। दोनों सुविधावो में से कोई एक का लाभ ले सकते है। ( पति का कार्ड होना भी आवश्यक है कुछ विशेष परिस्थिति में छूट संभव है जैसे परित्यक्ता या विधवा)।

**➔ (7) बच्चे का शिक्षा हेतु :-**

HUMAN WELFARE CARD जन कल्याण कार्ड धारक के बच्चे का शिक्षा हेतु (RTE) के तहत बड़े स्कूल में दाखिला करवाना एवं शिक्षा हेतु अधिकतम रु 20,000/- प्रति वर्ष कक्षा 10 तक आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाता है। यह सुविधा जन कल्याण कार्ड जारी होने की छह: माह पश्चात् लागु होगी। संतान कि उम्र 18 वर्ष से कम होते तक ही लागु होगी।

**➔ (8) दुधारू जानवर गाय/भैंस खरीदने पर आर्थिक अनुदान :-**

HUMAN WELFARE CARD जन कल्याण कार्डधारक घरेलू उपभोग के लिए अगर कोई दुधारू जानवर गाय/भैंस खरीदने पर अधिकतम रु 11000/- कि आर्थिक अनुदान दी जाएगी। यह सुविधा जन कल्याण कार्ड जारी होने की छह: माह पश्चात् लागू होगी। यह सुविधा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगो को ही मिलेगी।

**➔ (9) अनुदान पर किराना राशन उपलब्ध :-**

HUMAN WELFARE CARD जन कल्याण कार्डधारक को संस्था द्वारा न्यूनतम दरों पर 50% अनुदान पर अधिकतम रु 1000/- प्रति माह किराना राशन उपलब्ध करवाना। निराश्रित अत्यंत गरीब तबके अथवा एकल माता या पिता जिसपर नाबालिक बच्चो की जिम्मेदारी हो ऐसे परिवारों को मासिक खाद्य सामग्री मुफ्त दी जाएगी। यह सुविधा कार्ड जारी होने के एक माह पश्चात् मिलना शुरू होगी जो आजीवन चलेगी जब तक की कार्ड धारक की आर्थिक दशा में बदलाव नहीं हो जाता।

**➔ (10) रोजगार हेतु नव अवसर :-**

HUMAN WELFARE CARD जन कल्याण कार्ड धारको को रोजगार हेतु नव अवसर प्रदान किए जायेंगे।

इसके तहत कार्ड धारक को एक वर्ष में 90 दिन रोजगार अवसर प्रदान किये जायेंगे जो कि कार्ड धारक सरकारी एवं निजी क्षेत्र के द्वारा दिए गए रोजगार क्षेत्र में ही उपलब्ध करवाए जायेंगे।

**➔ (11) वृद्ध जान चार धाम मुफ्त यात्रा :-**

HUMAN WELFARE CARD जन कल्याण कार्ड धारक को संस्था द्वारा 67 वर्ष कि उम्र के पश्चात् भारतवर्ष कि चारो धाम यात्रा मुफ्त में करवाई जाती है। इस सुविधा का लाभ केवल 67 कि आयु प्राप्त कर चुके लोग ही ले सकते है एवं यह सुविधा केवल स्वयं के लिए उपलब्ध है।

**➔ (12) सरकारी योजनाओ का लाभ में सहायता :-**

HUMAN WELFARE CARD जन कल्याण कार्ड धारक को संस्था द्वारा सरकारी योजनाओ के बारे में अवगत करना एवं उन योजनाओ का लाभ प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना।

**➔ (13) जरूरतमंदों को अन्य सुविधाएं:-**

फल , कपडे, पुस्तक, दवा, खाद, बीज आदि वितरित करना एवं गरीब बच्चों के लिए निशुल्क पाठशालाएं खोलना।